

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर
पीठासन अधिकारी श्री समदरसिंह भाटी (आर.ए.एस.) प्राथमिक डिक्री
अनवान

वादी
1. वेदाराम पुत्र मालणाराम
जाति भील निवासी
सोमाणियों की ढाणी, गेहूं
तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1 लालाराम 2 रतनाराम 3 डूंगराराम पिसरान धर्मराम 4
वरजूदेवी पतनी धर्मराम 5 गंगाराम पुत्र जोगाराम 6 मीरो
पत्नी जोगाराम 7 देवाराम 8 पोकराराम पिसरान मालाराम 9
जगदीश 10 चोखाराम पिसरान मगाराम 11 रेखा पत्नी
मगाराम 12 जयराम पुत्र पदमाराम 13 पैलादराम पुत्र
मानाराम 14 लाधाराम पुत्र प्रतापाराम 15 करनाराम 16
पपीया 17 देवाराम पिसरान मासिंगाराम 19 ख्यालीराम 20
मोटाराम 21 हीराराम पिसरान घमण्डाराम 22 गवरी पत्नी
घमण्डाराम 23 दिनेश पुत्र वीरमाराम 24 हकीमा पत्नी
वीरमाराम 25 लुणाराम पुत्र धन्नाराम 26 गुटाराम पुत्र
सारंगाराम 27 पीराराम 28 खेताराम पिसरान हेमाराम 29
कमला पत्नी हेमाराम 30 पवनी पत्नी गेमराराम 31 भोजाराम
पुत्र गेमराराम जाति भील निवासी धनौड़ा, भादरेश तहसील
व जिला बाड़मेर 32 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा
ग्रामीण बैंक शाखा बाड़मेर 33 शाखा प्रबन्धक एसबीआई बैंक
शाखा भादरेश 34 तहसीलदार बाड़मेर।

दावा बाबत 53, 88 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 67/2020

निर्णय दिनांक :- 20/01/23

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी संख्या की उपस्थिति में इस वाद में
आज तारीख 20/01/23 को श्री समदरसिंह भाटी, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक
डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा धनौड़ा पटवार हल्का
भादरेश तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 54 रकबा 25.13 बीघा भूमि में वादी का
1/2 हिस्सा, खसरा संख्या 48 रकबा 85.08 बीघा भूमि में वादी का 3/16 हिस्सा व खसरा
संख्या 50 रकबा 41.14 बीघा भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड नियम
18 से 21 की पालना करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित होकर माननीय राजस्व मण्डल
अजमेर के नवीनतम निर्देशों की पालना करते हुए पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार
विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया
जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान एवं मौत बिरान की उपस्थिति में विभाजन का
प्रस्ताव तैयार कर एक माह में उपलब्ध करवाये। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। कमीश्नर शुल्क
रु. 1500/- निर्धारित की जाती है जो वादी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। खर्चा
पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह आज तारीख को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा
लगाकर दी गई। 20/01/23

(समदरसिंह भाटी)
पीठासन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

(SDO) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4 रुपये पर फ्रीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील
6 कमीश्नर की फीस	कमीश्नर की फीस
7 आदेशिका की तामील	
जोड़	जोड़